तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पेश करने के अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया। गत पेशी पर cost पर आखिरी अवसर दिया गया था परन्तु जवाब-प्रार्थना-पत्र पेश करने में असफल रहे। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 का जवाब प्रा.पत्र बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 4 (तहसीलदार जोधपुर) प्रकरण में प्रोफोर्मा पक्षकार होने से उनके जवाब की आवश्यकता नहीं रहती है अत इनका जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वादी बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 हेतु आज दिनांक 12/3/25 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर
12/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212 पर सुनी गई।
	हमने पत्रावली का एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं स्रोत विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण का बिंदुवार विवेचन निम्न अनुसार है:-
	1. <u>प्रथम दृष्टया मामला:-</u> वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उसके वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वाद-पत्र मय हलफनामा प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संयुक्त शामलाती होने के आधार पर वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया। संयुक्त सह-खातेदारी शामलाती आराजी के सम्बंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है जबकि अप्रार्थीगण भी सह-खातेदार है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।	
2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u> :- प्रथम बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण भी वादग्रस्त आराजी के सह-खातेदार हैं अतः यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में सह-खातेदारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो निश्चितरूपी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अप्रार्थीगण को असुविधा कारित होगी। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
	3. <u>अपूरणीय क्षति</u>: पूर्व दोनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए। प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे हैं कि यदि उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी। जबकि अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है जिनका संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग में बाधा कारित होगी जिससे निश्चित ही अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
	उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि तीनों बिंदु अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा। **आदेश :-** उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित न होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सत्यमेव जयते जोधपुर	